



Neutral Citation No. - 2026:AHC:51296

ए.एफ.आर.

सुरक्षित: 10.03.2026

निणीत: 13.03.2026

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

अनुच्छेद 227 के अंतर्गत मामले संख्या - 8772/2025

श्रीमती अलका सिंघानियायाची(गण)

बनाम

श्रीमती शिल्पी अग्रवालप्रत्यर्थी(गण)

याची(गण) के अधिवक्ता : आर.के. मिश्रा

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : रामा शंकर यादव

न्यायालय संख्या - 5

माननीय न्यायमूर्ति मनीष कुमार निगम

1. याची के विद्वान अधिवक्ता श्री आर.के. मिश्रा एवं एकमात्र प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री रामा शंकर यादव को सुना गया।

2. यह याचिका निम्नलिखित अनुत्तरों के लिए प्रस्तुत की गई है:

“i) उत्तराधिकार वाद संख्या 255/70/2022 (सीएनआर संख्या यूपी केएन05-0010902022) श्रीमती अलका सिंघानिया बनाम श्रीमती शिल्पी अग्रवाल में विद्वान सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ संभाग), कानपुर नगर द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय एवं आदेश दिनांक 18.01.2025 को उस सीमा तक निरस्त करना, जिसके द्वारा वादी/याची को उत्तराधिकार प्रमाण पत्र की समतुल्य राशि का प्रतिभूति बंधपत्र जमा करने का निर्देश दिया गया है (इस याचिका का संलग्नक संख्या 6)।

ii) विद्वान सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ संभाग), कानपुर नगर को वादी/याची का व्यक्तिगत बंधपत्र स्वीकार करते हुए उसके पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी करने का निर्देश देना तथा उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु याची को प्रतिभूति/बंधपत्र प्रस्तुत करने से छूट प्रदान करना।”

3. मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि स्व. नवल किशोर तुलस्यानी की पत्नी, श्रीमती शकुंतला देवी, निवासी 55/50 जनरल गंज, कानपुर नगर का निधन 30.10.2008 को हो गया था, जो अपने पीछे याची और विपक्षी (दोनों श्रीमती शकुंतला देवी की बेटियाँ) को अपने विधिक वारिस और उत्तराधिकारी के रूप में छोड़ गईं। श्रीमती शकुंतला देवी की मृत्यु बिना वसीयत हुई थी। स्वर्गीय श्रीमती शकुंतला देवी (याची और विपक्षी की माता) के पास रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर थे, जिसकी वे दर्ज मालिक थीं। स्वर्गीय श्रीमती शकुंतला देवी की बेटियाँ और विधिक वारिस एवं उत्तराधिकारी होने के नाते, याची और विपक्षी दोनों अपनी माता की संपूर्ण संपत्ति प्राप्त करने की हकदार हैं तथा स्वर्गीय श्रीमती शकुंतला देवी का अन्य कोई विधिक वारिस एवं उत्तराधिकारी नहीं है। वादी/याची ने अपने पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी करने की प्रार्थना के साथ भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 372 के अंतर्गत एक वाद प्रस्तुत किया, जो विविध वाद संख्या 255/70/2022, श्रीमती अलका सिंघानिया बनाम श्रीमती शिल्पी अग्रवाल के रूप में दर्ज किया गया। समाचार पत्रों में नोटिस जारी होने एवं प्रकाशन के पश्चात् किसी भी व्यक्ति

अस्वीकरण

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



द्वारा कोई आपति दाखिल नहीं की गई। प्रतिवादी, शिल्पी अग्रवाल, ने मामले में उपस्थित होकर दिनांक 18.08.2022 के शपथ पत्र के साथ अपनी सहमति प्रस्तुत की, जिसमें यह उल्लेख किया गया कि वादी को उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्रदान कर दिया जाए। सिविल जज ने दिनांक 18.01.2025 के आदेश द्वारा याची द्वारा प्रस्तुत आवेदन को स्वीकार कर लिया और वादी/याची के पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी करने का निर्देश दिया, किंतु इस शर्त के साथ कि वादी/याची उस राशि का एक प्रतिभूति बंधपत्र और एक व्यक्तिगत बंधपत्र प्रस्तुत करेगी जिसके लिए उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्रदान किया जा रहा था। प्रतिभूति बंधपत्र जमा करने की शर्त अधिरोपित किए जाने से व्यथित होकर यह वर्तमान याचिका प्रस्तुत की गई है।

4. याची के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि याची ने आदेश दिनांक 18.01.2025 के अनुपालन में दिनांक 18.08.2025 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पहले ही एक व्यक्तिगत बंधपत्र/वचनपत्र प्रस्तुत कर दिया है। उसकी प्रति पूरक शपथ पत्र के साथ संलग्नक संख्या एस.ए. 1 के रूप में संलग्न की गई है।

5. विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता, श्री रमा शंकर यादव ने एकमात्र प्रतिवादी/विपक्षी शिल्पी अग्रवाल की ओर से एक संक्षिप्त प्रति-शपथ पत्र दाखिल किया है, जिसमें वादी के दावे को स्वीकार किया गया है तथा यह उल्लेख किया गया है कि यदि याची को उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है तो उन्हें कोई आपति नहीं है।

6. याची के विद्वान अधिवक्ता ने आगे यह तर्क प्रस्तुत किया कि समाज राशि का प्रतिभूति बंधपत्र जमा करने की शर्त अधिरोपित किया जाना मनमाना है, विशेष रूप से तब जब मृतक का अन्य कोई दावेदार/वारिस नहीं है तथा मृतक की एकमात्र अन्य वारिस, अर्थात् शिल्पी अग्रवाल, प्रतिवादी/विपक्षी, को याची को उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किए जाने की स्थिति में कोई आपति नहीं है। याची के विद्वान अधिवक्ता ने दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा अरविंद नंदा बनाम राज्य; 2020 एससीसी ऑनलाइन डेल 2922 के मामले में पारित निर्णय पर भरोसा जताया है।

7. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 375 के अवलोकन से स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि प्रतिभूति/प्रतिभूति/क्षतिपूर्ति बंधपत्र की शर्त अधिरोपित करने का उद्देश्य उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों की क्षतिपूर्ति करना अथवा उनके हितों की रक्षा करना है, जो संपूर्ण ऋण एवं प्रतिभूति अथवा उसके किसी भाग के हकदार हो सकते हैं। ऐसी शर्त तब अधिरोपित की जाती है जब न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि किसी भी उद्देश्य के लिए जिसमें किसी ऋण का चुकता किया जाना, अन्य दावेदार, वैधानिक अधिकारियों का कोई बचाया आदि शामिल है, यह आवश्यक है। हालाँकि, शर्त अधिरोपित किए जाने के प्रश्न पर प्रत्येक मामले के तथ्यों के आलोक में विचार किया जाना चाहिए। किसी शर्त के लिए यांत्रिक रूप से जोर नहीं दिया जा सकता, विशेष रूप से उन स्थितियों में जहाँ लाभार्थी एकमात्र लाभार्थी हो अथवा अन्य उपयुक्त मामलों में जहाँ लाभार्थी मृतक का स्वाभाविक वारिस हो तथा अन्य दावेदारों द्वारा कोई आपति नहीं की गई हो।

8. माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने कई निर्णयों पर भरोसा करते हुए 'अरविंद नंदा' (उपर्युक्त) निर्णय के पैराग्राफ संख्या 10 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:-

"10. अतः स्थापित विधि-सिद्धांत स्पष्ट रूप से निम्नलिखित सिद्धांतों को प्रतिपादित करते हैं:-

(1) क्षतिपूर्ति/प्रतिभूति प्रस्तुत करने की शर्त अधिरोपित करना न्यायालय के विवेक पर निर्भर है।

(2) जब भी न्यायालय का यह मत हो कि किसी ऋण के कारण तथा इस तथ्य को देखते हुए कि अन्य दावेदारों द्वारा दावे प्रस्तुत किए जाने की संभावना है, कोई शर्त अधिरोपित किया जाना आवश्यक है, तो ऐसी शर्त अधिरोपित की जा सकती है।

(3) उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्रदान करने से संबंधित प्रत्येक मामले में, प्रतिभूति/प्रतिभूति जमा करने की शर्त अधिरोपित करने तथा क्षतिपूर्ति बंधपत्र के लिए जोर देने का यांत्रिक दृष्टिकोण अपनाया जाना आवश्यक नहीं है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



(4) जब कोई प्रतिभू जमा करने से छूट की माँग की जाती है, तो न्यायालय को संपूर्ण परिस्थितियों एवं तथ्यों के समग्र परिदृश्य पर विचार करना होता है और प्रत्येक मामले के तथ्यों के आधार पर, विधि के अनुसार अपने विवेक का प्रयोग करना होता है।

(5) जैसा कि इस न्यायालय की विद्वान खंडपीठ द्वारा राजेश कुमार शर्मा (उपर्युक्त) के मामले में व्यवस्था दी गई है, शर्त अधिरोपित किया जाना अनिवार्य नहीं है।"

9. मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए, विशेष रूप से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि मृतक की एकमात्र अन्य वारिस, अर्थात् शिल्पी अग्रवाल, एकमात्र विपक्षी, को उसकी बहन जो मृतक की स्वाभाविक वारिस है, के पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्रदान किए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है तथा मृतक की संपदा के लिए कोई अन्य दावेदार नहीं है, मेरी राय में शामिल राशि के बराबर राशि का प्रतिभूति बंधपत्र प्रस्तुत करने की शर्त का अधिरोपण न्यायसंगत नहीं है।

10. उपरोक्त विधिक स्थिति के आलोक में, याची अपनी माता-पिता की संपदा का एकमात्र विधिक वारिस एवं लाभार्थी होने के कारण तथा किसी भी पक्ष से कोई आपत्ति न होने के फलस्वरूप, प्रतिभू जमा करने से छूट प्राप्त करने का हकदार है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.01.2025 को इस सीमा तक संशोधित किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि वह आज से आठ सप्ताह की अवधि के भीतर शीघ्रता से उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी करे।

11. तदनुसार, याचिका स्वीकार की जाती है।

(न्यायमूर्ति मनीष कुमार निगम,)

13 मार्च, 2026

नीतिका श्री.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"